अनुस्मारक

संख्या-08/2026/आई/1374110/2026-10-19099/19/2026

प्रेषक,

विजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्लायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः23जून,2026**

विषयः मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के आयोजन हेतु।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-सा-3-1186/दस-98-17-95, दिनांक 15 सितम्बर, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के आयोजन हेतु शासन स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि विगत कुछ समय से उक्त शासनादेश दिनांक-15.09.1998 में दिये गये निर्देशानुसार पेंशन अदालत का आयोजन नही हो रहा है, जिससे पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भगत शासनादेश संख्या-सा-3-1186/दस-98-17-95, दिनांक 15 सितम्बर, 1998 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।